(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 384–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत–2 भितरवार जिला ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2014–15.

.....

1–वासुदेव उपाध्याय पुत्र स्व.श्री ज्वालाप्रसाद
2–राधाकृष्णा उपाध्याय पुत्र स्व.श्री ज्वालाप्रसाद
3–पुरूषोत्तम उपाध्याय पुत्र स्व.श्री ज्वालाप्रसाद
4–गिरजेश उपाध्याय पुत्र स्व.श्री ज्वालाप्रसाद
निवासी ग्राम गोहिन्दा तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद
2–नेकसे पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद खटीक,
निवासीगण वार्ड नम्बर 6 तहसील के सामने
भितरवार कृषक ग्राम गोहिन्दा तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर
3–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक क्रमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 भितरवार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–06–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार भितरवार के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम गोहिन्दा स्थित भूमि सर्वे कमांक 30/12 रकबा 2.341 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–12/2014–15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 15–6–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि सर्वे नम्बर 30/11 व सर्वे नम्बर 30/18 है जिसकी पुराना सर्वे नम्बर 30/5 व 30/7 था । सीमांकन में आवेदकगण की भूमि सर्वे नम्बर 30/18 व 30/12 में निकाल दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सीमांकन में विधिवत् सूचना नहीं दी गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण के पिता स्व0ज्वालाप्रसाद के नाम से सूचना पत्र जारी किया गया, जबकि उनकी मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है । अतः यदि मौके पर सीमांकन किया गया होता तब आवेदकगण के पिता की मृत्यु की जानकारी राजस्व निरीक्षक को होती । इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन में सीमांकन नियमों का पालन किये बिना सीमांकन किया गया है, इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

तर्क के समर्थन में 2015 आरएन 593 एवं 2014 आरएन 69 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदकगण को सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है, ऐसी स्थिति में सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् पड़ोसी कृषकों को भी सूचना दी गई है । उनके

द्वारा सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी तहसील न्यायालय द्वारा उनके नाम से नोटिस जारी किया गया है तथा किसका कितनी भूमि पर कब्जा है यह भी तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि संहिता के प्रावधानों के अनुरूप पुनः विधिवत् सीमांकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 भितरवार ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–06–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर